मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा षोडश सत्र

फरवरी-मार्च, 2018 सत्र

सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2018

(7 फाल्गुन, शक संवत् 1939)

[खण्ड- 16] [अंक- 1]

मध्यप्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2018

(7 फाल्गुन, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

11.01 बजे **राष्ट्रगीत**

राष्ट्रगीत ''वन्दे मातरम्'' का समूहगान

अध्यक्ष महोदय - अब, राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" होगा. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं.

(सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगीत ''वन्दे मातरम्'' का समूहगान किया गया.)

अध्यक्ष महोदय - अब, सदन माननीय राज्यपाल के आगमन की प्रतीक्षा करेगा.

(सदन द्वारा राज्यपाल महोदया के आगमन की प्रतीक्षा की गई.)

11.16 बजे

(माननीय राज्यपाल महोदया का चल समारोह के साथ में सदन में आगमन हुआ)

अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय राज्यपाल द्वारा अभिभाषण पढ़े जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय -- माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल महोदया अभिभाषण के पैरा क्रमांक 1 से 8, 10 से 15, 17 से 72, 75 से 81, 86 से 90, 94,97, 101,105,108, 109, 118 से 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135 एवं पैरा क्रमांक 139 सदन में पढ़ेंगी. शेष अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जायेगा.

श्री मुकेश नायक - अच्छा हुआ जो असत्य का पुलिंदा था, वह महामहिम राज्यपाल महोदया ने पढ़ने से मना कर दिया, हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है. (विपक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री बाबूलाल गौर- (श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा बैठे-बैठे टिप्प्णी किये जाने पर) माननीय राज्यपाल महोदया के सामने इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है.

11.17 बजे **मानननीय राज्यपाल का अभिभाषण**

राज्यपाल महोदया (श्रीमती आनंदीबेन पटेल) -

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. चौदहवीं विधानसभा के इस पाँचवें बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत - वंदन - अभिनंदन।

2. मेरी सरकार ''सबका साथ-सबका विकास'' की अवधारणा से कार्य कर रही है। मेरी सरकार की निगाह से कोई भी वर्ग और तबका भूला-बिसरा नहीं रहा है। जाति, धर्म और वर्ग से परे सरकार की योजनाओं का लाभ सभी के लिये सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2017 को पं. दीनदयाल जन्म-शताब्दी वर्ष के रूप में गरीब कल्याण को समर्पित किया गया। सरकार की कोशिश रही कि गरीब कल्याण

का एजेण्डा समाज और सरकार का साझा एजेण्डा बने। मेरी सरकार की प्राथमिकता हर गरीब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के साथ पढ़ाई, दवाई और रोजगार है और रहेगी।

3. मेरी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जावान और कल्पनाशील नेतृत्व में देश और समाज के निर्माण में हमकदम है। प्रधानमंत्री की फ्लेगशिप योजनाओं के अमल में प्रदेश देश में अग्रणी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के विकास और लोगों की तरक्की और खुशहाली के कामों में केन्द्र सरकार का भरपूर सहयोग मिला है। मुझे विश्वास है कि सरकार सभी क्षेत्रों में प्रदेश को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने में सफल होगी।

4. प्रदेश की जीवन-रेखा नर्मदा नदी के संरक्षण को जन-आन्दोलन बनाने के लिये नदी के दोनों तट पर 144 दिन में 3 हजार 350 कि.मी. की नमामि देवी नर्मदे -सेवा यात्रा की गई। यात्रा से नर्मदा तटीय क्षेत्र में जन -समुदाय को नदी के संरक्षण की जरूरत और वानस्पतिक आच्छादन, स्वच्छता और साफ-सफाई, मृदा और जल-संरक्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया।

5. मेरी सरकार ने यात्रा के बाद ''नर्मदा सेवा मिशन'' बनाया है। मिशन को वृक्षारोपण से नदी तटीय क्षेत्र का संरक्षण, उन्नत स्वच्छता, तरल और ठोस अपशिष्ट और सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता प्रबंधन, जल संग्रहण एवं नदी कछार क्षेत्र विकास, प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन, जैविक कृषि का विकास, नदी संसाधनों का यथोचित विकास सुनिश्चित करने, नदी क्षेत्र में स्वस्थ पारिस्थितिकीय तंत्र के विकास, नदी के संरक्षण -संवर्धन के लिये समाज की क्षमता वर्धन और सहभागिता सुनिश्चित करने, नर्मदा क्षेत्र में नशामुक्त समाज के निर्माण आदि कार्य सौंपे गये हैं।

6. समावेशी विकास के लिये सभी 313 विकासखण्डों में स्व-प्रेरणा एवं जन-भागीदारी से समाज के विकास के लिये कार्यरत लोगों को शिक्षित एवं क्षमतावान बनाकर सशक्त सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने के लिये मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

7. मेरी सरकार ने सामाजिक समरसता और देश की मूलभूत सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिये एकात्म-यात्राएँ प्रदेश के सभी जिलों में निकाली हैं।

सांस्कृतिक एकता के देवदूत, अद्वैत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता और सनातन संस्कृति के पुनरुद्धारक आदि शंकराचार्य के एकात्म दर्शन को इस यात्रा के जरिये जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया गया। ओंकारेश्वर में उनकी 108 फीट की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित करने की मेरी सरकार की योजना है। ओंकारेश्वर में ही आदि शंकराचार्य स्मृति वेदांत संस्थान की स्थापना की जायेगी।

8. कैशलेस प्रणाली को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के निर्णय के प्रकाश में मेरी सरकार के शत-प्रतिशत भुगतान ई-भुगतान प्रणाली से किये जा रहे हैं। वर्तमान में 73 प्रतिशत राशि ई-पेमेंट से जमा की जा रही है, जिससे वित्तीय प्रबंधन में दक्षता आई है।

9. पेंशन प्रकरणों के जल्द निराकरण के लिये पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन किये जाने की दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया भी सरल की जा रही है।

10. सम्पत्ति पंजीयन कार्य कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। सभी पंजीयन गतिविधियाँ ''सम्पदा पोर्टल'' से ऑनलाइन की जाती हैं। इस वित्त वर्ष में दिसम्बर तक पोर्टल पर 4 लाख 14 हजार से ज्यादा दस्तावेज

पंजीकृत हुए हैं। ई-पंजीकृत दस्तावेजों को सर्च करने और सत्यापित प्रतिलिपियाँ ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। सभी उप पंजीयक कार्यालय कैशलेस हो चुके हैं।

11. प्रदेश में नवीन कर प्रणाली जी.एस.टी. लागू होने से पुरानी कराधान प्रणालियों के प्रावधानों से करदाताओं को राहत मिली है। प्रदेश की सीमाओं की वाणिज्यिक कर जाँच चौकियाँ समाप्त कर दी गई हैं। लगभग 98 प्रतिशत करदाताओं को जी.एस.टी. में लाया जा चुका है।

12. सरकार ने डीजल पर वेट की दर 27 से घटाकर 22 और पेट्रोल पर वेट की दर 31 से घटाकर 28 प्रतिशत कर दी है। प्रति लीटर डेढ़ रुपये के अतिरिक्त कर को भी समाप्त कर दिया गया है।

13. विगत 7 वर्षों से प्रदेश में शराब की कोई दुकान नहीं खोली गई है। इस वर्ष नर्मदा नदी के किनारे की 66 मदिरा दुकानें बंद की गई।

14. मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों की अनथक मेहनत और सरकार के सुचिंतित प्रयासों से प्रदेश को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत सरकार

से पाँच बार ''कृषि कर्मण पुरूस्कार'' प्राप्त हो चुका है। इस वर्ष सरकार ने किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य उपलब्ध करवाने के लिये पायलेट आधार पर खरीफ मौसम से मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ की है। सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग फसल किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मण्डी में बेचे जाने पर सरकार द्वारा मंडियों की मॉडल विक्रय दर की अंतर राशि किसान के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से जमा की जा रही है। अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर 2017 में मण्डियों में संव्यवहार करने वाले 10 लाख 50 हजार पंजीकृत किसानों को रुपये 1,512 करोड़ के भावांतर का भुगतान किया जा रहा है। माह जनवरी, 2018 में मक्का तथा माह फरवरी से अप्रैल, 2018 के तुअर के संव्यवहार पर भी भावांतर देय होगा। वर्ष 2017-18 की चना, मसूर, सरसों को भावांतर भुगतान योजना में शामिल कर पंजीयन 12 फरवरी से 12 मार्च, 2018 में कराने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

15. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2017 के फसल कटाई प्रयोगों के उपरान्त दावा राशि गणना का कार्य प्रगति पर है। प्रारम्भिक आंकलन अनुसार

प्रदेश में खरीफ-2017 की दावा राशि अनुमानतः देश का सबसे बड़ा फसल बीमा दावा होगा।

16. अनुदान योजनाओं में पारदर्शिता तथा कृषकों को मोल-भाव कर सामग्री खरीद की सुविधा देने के लिये ''ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल'' प्रारंभ किया गया है। सरकार ने कृषि यंत्रों एवं सिंचाई उपकरणों का अनुदान पर वितरण ऑनलाईन कर दिया है।

17. मेरी सरकार द्वारा कृषक पुत्र तथा पुत्री द्वारा कस्टम प्रोसेसिंग एवं सर्विस केन्द्र स्थापित कर सकने की व्यवस्था की जा रही है। इन केन्द्रों से कृषक अपने उत्पादों का किराया आधार पर प्राथमिक प्र-संस्करण एवं मूल्य सवर्धन करा सकेंगे। मेरी सरकार ने 1800 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर प्रदेश में प्रारम्भ किये हैं तथा प्रत्येक वर्ष 500 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जा रहे हैं।

18. प्रदेश में सूखे की स्थिति के उपरान्त भी वर्ष 2017-18 रबी में 112 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई है जो यह दिखलाता है कि हमारी विकसित सिंचाई क्षमता ने मानसून की अनिश्चितताओं से पार पाने में हमें सक्षम बनाया है।

19. मेरी सरकार और किसानों के प्रयासों से उद्यानिकी क्षेत्र का रकबा 19 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुका है। मुख्य उद्यानिकी फसलों का सरप्लस उत्पादन हो रहा है। दो वर्षों में प्याज भंडारण क्षमता पौने तीन लाख मी. टन तक बढ़ाई गई है। तीन लाख मी. टन क्षमता के प्याज भंडार गृह निर्माणाधीन है। तीन लाख 32 हजार मी. टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता भी विकसित की गई है।

20. उत्पादों के विपणन के लिये कृषक उत्पादक संगठनों और स्थानीय कृषक समूहों को तकनीकी सहायता दी जा रही है। खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

21. मेरी सरकार पशुपालन का संरक्षण-संवर्द्धन वृहद रूप में कर रही है। पिछले वर्ष देश की दुग्ध उत्पादन वृद्धि 5.30 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की वृद्धि दर 10.70 प्रतिशत रही है और प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 468 ग्राम प्रतिदिन रही, जो राष्ट्रीय औसत 352 ग्राम से अधिक है। इस वर्ष गोकुल महोत्सव के जरिये 162 लाख पशुओं को पशु चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की गई। आचार्य विद्यासागर गौ-संरक्षण योजना में 1,350

हितग्राहियों को डेयरी उद्योग के लिये 18 करोड़ की मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई है।

22. मत्स्य पालन से आय बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप उपलब्ध जल-क्षेत्र के 98 प्रतिशत में मत्स्य-पालन हो रहा है। दृष्टि पत्र 2018 में 100 करोड़ मत्स्य-बीज उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति पिछले वर्ष ही 111 करोड़ के उत्पादन से कर ली गई है। शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर आर्थिक सहायता के लिये 58 हजार मछुआ क्रेडिट कार्ड बाँटे जा चुके हैं। मत्स्य विक्रय के लिये 8 थोक तथा 187 फुटकर मत्स्य बाजार स्थापित किये गये हैं।

23. मेरी सरकार के प्रयासों से प्रदेश आज बिजली में आत्म-निर्भर है। गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे बिजली दी जा रही है। उपलब्ध बिजली क्षमता 18 हजार 43 मेगावॉट है जिसे वर्ष 2019 तक 20 हजार मेगावाट किया जायेगा। पारेषण क्षमता 16 हजार मेगावाट की जायेगी।

24. प्रदेश में ट्रांसमिशन हानियों का प्रतिशत 2.71 के स्तर पर आ गया है, जो देश में न्यूनतम है। वितरण हानियों में प्रतिवर्ष 2 से 3 प्रतिशत की कमी लाने का प्रयास हो रहा है। विद्युत कंपनियों के 26 हजार

करोड़ के ऋण को अंशपूँजी एवं अनुदान में बदला जा रहा है।

25. मेरी सरकार ने किसानों को मात्र 1400 रुपये प्रति हार्स पावर सालाना की दर से वर्ष में दो बार छ:माही बिल जमा करने की सुविधा दी है। इसके अतिरिक्त एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के पाँच हार्स पावर के कृषि पम्प को मुफ्त बिजली दी जा रही है। इस वर्ष इन सब मदों में कुल साढ़े नौ हजार करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है।

26. हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना में बिजली विहीन सभी 35 लाख घरों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य है। अक्टूबर 2018 तक इन सभी घरों में बिजली पहुँचा दी जायेगी। अभी योजना से 8 लाख 50 हजार घर रौशन हो चुके हैं।

27. मेरी सरकार ने जले/ खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिये बकाया राशि के 40 प्रतिशत जमा की शर्त को 20 प्रतिशत किया है। जनवरी 2018 तक 46 हजार 399 ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं। ''मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पम्प योजना'' में 5 लाख अस्थाई पम्प कनेक्शनों को स्थाई किया जाना था, जिसमें से जनवरी 2018 से 2 लाख 8 हजार ऑनलाईन

एवं 52 हजार लाईन विस्तार कर कनेक्शन दिये जा चुके हैं। जो किसान निर्धारित अंश राशि जमा कर स्थाई पम्प हेतु आवेदन कर चुके हैं, उनसे अस्थाई पम्प हेतु पृथक से एनर्जी चार्जेस जमा कराये बिना फ्लैट दर पर बिजली दी जा रही है।

28. रीवा में स्थापित की जा रही अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को भारत सरकार द्वारा एक मॉडल परियोजना के रूप में देश के सामने रखा गया है और इसे विश्व बैंक प्रेसीडेंट अवार्ड भी दिया गया है। यह देश की पहली परियोजना है, जो ग्रिड पैरेटी की सीमा को तोड़ सकी और जिससे कोयले पर आधारित बिजली से सस्ती बिजली मिल सकी। परियोजना से पहले साल सिर्फ रुपये 2.97 प्रति यूनिट पर सौर बिजली प्राप्त होगी। इसके अंतर्गत दिल्ली मेट्रो को भी हमारी रीवा परियोजना से बिजली प्रदाय होगी।

29. राज्य में ''मुख्यमंत्री सोलर पम्प'' योजना लागू की गई है, जिसमें किसानों को सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत कीमत पर सोलर पम्प दिये जा रहे हैं। इससे उन किसानों को विशेष लाभ होगा, जिनके खेतों तक बिजली नहीं पहुँच पाई और जो अभी तक डीजल से सिंचाई करने के लिये बाध्य हैं। अब तक लगभग 4000 सोलर पम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

30. मेरी सरकार ने 40 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का लक्ष्य समय पूर्व प्राप्त कर लिया है। इसमें नर्मदा योजनाओं से सिंचित साढ़े पाँच लाख हेक्टेयर रकबा भी शामिल है। वर्ष 2025 तक शासकीय स्त्रोतों से सिंचाई क्षमता 80 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है।

31. सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में गत वर्ष पौने सात हजार करोड़ का निवेश किया गया। दृष्टिपत्र 2018 के 700 के लक्ष्य के विरूद्ध 740 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं। इस वर्ष 34 हजार हेक्टेयर क्षमता की नवीन 79 लघु परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। साथ ही 2 वृहद परियोजना श्यामगढ़-सुवासरा उदवहन सिंचाई एवं लोअर ओर तथा 3 मध्यम परियोजना सतधारू, आवलिया और कड़ान का कार्य प्रारम्भ कराया गया है। इन योजनाओं से डेढ़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हो सकेगी।

32. सरकार ने सभी नवीन वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं में खुली नहर के स्थान पर प्रेशराईज पाईपलाइन से स्प्रिंकलर/ ड्रिप प्रणाली से सिंचाई का प्रावधान किया है। नहरों से सीपेज को रोकने के लिये लाइनिंग कार्य करवाया जा रहा है।

33. मेरी सरकार ने नर्मदा जल को प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक ले जाने के लिये कई नवाचारी योजनाएँ लागू की हैं। नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक का कार्य पूर्ण हो गया है। नवीन 9 लाख 10 हजार हेक्टेयर क्षमता की 27 माईक्रो सिंचाई परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनमें से ढीमरखेड़ा, छीपानेर, छैगांवमाखन और हरसूद, बिस्टान एवं बलवाड़ा, नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक और अलीराजपुर माईक्रो सिंचाई परियोजना का कार्य प्रगति पर है। अम्बा-रोडिया, चौड़ी-जामनिया, बलकवाड़ा और सिमरोल-अम्बाचंदन परियोजना के कार्य भी शीघ्र शुरू होंगे। नर्मदा से बदनावर क्षेत्र में सिंचाई के लिए 50 हजार हेक्टेयर की योजना स्वीकृत की जाएगी।

34. मालवा क्षेत्र में नर्मदा जल पहुँचाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। सीहोर, शाजापुर और राजगढ़ के 369 गाँवों में 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा के लिये नर्मदा-पार्वती लिंक माईक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है। सीहोर, देवास, शाजापुर और राजगढ़ जिले के 366 गाँवों में 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा के लिये नर्मदा-कालीसिंध लिंक माईक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है। उज्जैन

और शाजापुर जिले के लिये नर्मदा-क्षिप्रा सिंचाई परियोजना भी स्वीकृत की गई है।

35. होशंगाबाद, हरदा और खण्डवा जिलों के लिये मोरण्ड-गंजाल संयुक्त परियोजना, खरगोन और खण्डवा जिले के लिये भीकनगाँव-बिन्जलवाड़ा, खरगोन जिले के लिये पिपरी, खण्डवा जिले के लिये जावर, पुनासा विस्तार, भुरलाय, किल्लौद, पामाखेड़ी, कोदवार, बड़वानी और खरगोन जिले के लिये नागलवाड़ी और बड़वानी जिले में पाटी परियोजना स्वीकृत की गई है।

36. सहकारिता क्षेत्र की प्रदेश के विकास में अहम भूमिका है। इस वर्ष दिसम्बर तक किसानों को 10 हजार 98 करोड़ का फसल ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर दिया गया है। इस वर्ष योजना से 28 लाख किसान लाभान्वित होना संभावित है।

37. मेरी सरकार ने अधिक उत्पादन तथा घटती कीमत से किसानों को राहत दिलाने के लिये इस वर्ष बाजार हस्तक्षेप योजना में 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से डेढ़ लाख कृषकों से 87 लाख 35 हजार क्विंटल प्याज की खरीदी की।

38. प्रदेश में देश में प्रथम बार सहकारी क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम से डेढ़ हजार प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। पर्यटन, परिवहन, ई-रिक्शा, जैविक कृषि, भंडारण, श्रम ठेका निर्माण, कड़कनाथ मुर्गा संरक्षण, रहवासी, सामाजिक वानिकी और उद्यानिकी, सेवाप्रदाता और कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी की सहकारी समितियों का पंजीयन कर रोजगार के नवीन क्षेत्रों के साथ सदस्यों के जीवन स्तर के उन्नयन का प्रयास किया गया है।

39. सरकार ने पहली बार सहकारिता से अन्त्योदय विकास योजना शुरू की है। योजना में ग्राम स्तर पर परम्परागत व्यवसाय, स्थानीय कौशल, उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण के साथ लघु और कुटीर उद्योगों में पारंगत एवं व्यवसायरत लोगों, युवाओं, महिलाओं की सहकारी समिति का गठन कर रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। उत्पादों की विपणन व्यवस्था भी की जायेगी।

40. मध्यप्रदेश में सड़कों के नेटवर्क सुधारने के व्यापक प्रयास किये गये हैं। वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा 2611 कि.मी. नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं तथा वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 में 4387 कि.मी.

नये राष्ट्रीय राजमार्गों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार सितम्बर 2016 में 3778 कि.मी. नये राजकीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं और वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 5139 कि.मी. नये मुख्य जिला मार्ग घोषित किये गये हैं। इन मार्गों के उन्नयन से सड़क का नेटवर्क अत्यंत ही मजबूत हो जायेगा और राज्य में आवागमन की सुविधा में व्यापक सुधार होगा।

41. वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग द्वारा तेजी से कार्य करते हुए 2142 कि.मी. नवीन सड़कों का निर्माण तथा 3263 कि.मी. सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। साथ ही 85 नग वृहद पुलों और आर.ओ.बी. का भी निर्माण किया गया।

42. ए.डी.बी. के पंचम चरण के तहत 500 मिलियन डालर का नया ऋण स्वीकृत कराया गया जिससे 1457 कि.मी. मुख्य जिला मार्गों का विकास किया जा रहा है। ए.डी.बी. के छठवें चरण में 3000 कि.मी. सड़कों के विकास हेतु लगभग रुपये 6000 करोड़ का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। न्यू डव्हलपमेंट बैंक से स्वीकृत 500 मिलियन डालर के ऋण से 1503 कि.मी. मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन करवाया

जायेगा। न्यू डव्हलपमेंट बैंक से वर्ष 2017-18 में लगभग 1625 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है, जिससे 379 पुलों का निर्माण किया जायेगा।

43. पीआईयू गठन के बाद अच्छी गुणवत्ता के भवनों के निर्माण में तेजी आई है। वर्ष 2016-17 में पीआईयू द्वारा 837 नये भवनों का निर्माण किया गया। वर्ष 2017-18 में 1300 भवनों का निर्माण पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

44. मेरी सरकार गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस वित्त वर्ष में 3 हजार 803 कि.मी. लम्बाई की सड़कों के निर्माण से 1 हजार 447 बसाहटों को सम्पर्क सुविधा मिली है। पीएमजीएसवाय-2 योजना के अंतर्गत 5,015 कि.मी. तथा 189 बड़े पुलों के लिये 3,433 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत नवंबर 2017 तक 6 हजार 658 सड़कों के निर्माण में 6 हजार 892 ग्रामों को संपर्क सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के 10 हजार कि.मी. ग्रेवल मार्गों का 505 मिलियन यू.एस.डी. की लागत से डामरीकरण एवं 510 कि.मी. नवीन मार्गों का निर्माण प्रस्तावित

है, जिसमें से 6 हजार 537 कि.मी. की निविदाएं स्वीकृत होकर कार्य प्रारम्भ किया गया है।

45. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 7 लाख 56 हजार आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। अगले वर्ष 5 लाख 11 हजार आवास का लक्ष्य है। आवासों को पूरा करने में प्रदेश देशभर में अग्रणी राज्य है। योजना में राज्य सरकार ने अपने मद से 2 हजार 8 सौ करोड़ रुपये से अधिक का निवेश भारत सरकार की सहायता के अतिरिक्त किया है।

46. स्वच्छ भारत मिशन में वित्तीय वर्ष 2017-18 में अब तक 18 लाख 54 हजार घरों में शौचालय उपलब्ध हो गए हैं। इस वर्ष कुल 1810 ग्राम पंचायतें और आठ जिले आगर-मालवा, भोपाल, बुरहानपुर, होशंगाबाद, खरगोन, नीमच, शाजापुर एवं उज्जैन का ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच मुक्त हुआ है। छः हजार से ज्यादा ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य मंजूर किए गए हैं। नर्मदा किनारे के 16 जिलों की 517 ग्राम पंचायतों में करीब दो लाख शौचालय बन चुके हैं। नर्मदा बेसिन के 25 जिलों में सवा 13 लाख घरों में अक्टूबर 2018 तक शौचालयों का निर्माण पूरा करवाया जाएगा।

47. मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना - राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से पौने 24 लाख परिवारों को दो लाख से ज्यादा स्व सहायता समूहों से जोड़कर बैंकों से दो हजार करोड़ से ज्यादा का ऋण दिलाया गया है।

48. पंच परमेश्वर योजना में वर्ष 2011-12 से अब तक ग्राम पंचायतों को 12 हजार 699 करोड़ की राशि उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इस राशि से 18 हजार कि.मी. लम्बी सी.सी. सड़क और पक्की नालियां बनी है। इस वर्ष ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की 2 हजार 342 करोड़ की राशि दी गई है।

49. मनरेगा से इस वित्त वर्ष में अब तक 12 करोड़ 72 लाख मानव दिवस सृजित हुए और वर्ष 2017-18 में अब तक 2 लाख 38 हजार कार्य पूर्ण हुए हैं।

50. मेरी सरकार नगरों के सुनियोजित विकास के लिये बहुआयामी कार्य कर रही है। नगरों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिये बाह्य वित्तीय संस्थाओं ए.डी.बी., वर्ल्ड बैंक तथा के.एफ.डब्ल्यू. से रुपये 7075 करोड़ के अनुबंध किये जा चुके हैं। म.प्र. अरबन डेव्हलपमेंट कम्पनी द्वारा 43 नगरों के

पेयजल के 1494 करोड़ 44 लाख एवं सीवरेज के दो नगरों में 246 करोड़ 80 लाख के कार्य प्रगति पर हैं। नर्मदा तट के सात नगरीय निकायों की 170 करोड़ की सीवरेज योजनाओं के कार्य अवार्ड किये जा चुके हैं। शीघ्र ही 89 नगरों में पेयजल और 20 नगरों में सीवरेज योजनाओं के कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

51. स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल सात शहरों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना में स्मार्ट सिटी विकास की कार्यवाही प्रचलन में है। भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

52. प्रदेश के एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 33 शहर एवं पर्यटन शहर ओंकारेश्वर में पाँच वर्षों में 6200 करोड़ की अमृत योजना क्रियान्वित की जाना है।

53. प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2018 तक 5 लाख एवं वर्ष 2022 तक 10 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य है। प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ सभी 378 नगरीय निकायों को योजना में सम्मिलित कर 5 लाख 11 हजार से ज्यादा आवास स्वीकृत हुए हैं।

योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिये नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवायी जा रही है। दिसम्बर, 2014 तक शहरी क्षेत्र की शासकीय भूमि पर निवास कर रहे शहरी गरीबों को पट्टा दिया जा रहा है।

54. राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। समस्त नगरीय क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जाकर नगरों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। शहरी कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कटनी में क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई कार्यशील हो गई है। भोपाल, रीवा और ग्वालियर में कचरे से विद्युत उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

55. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में 3 वर्षों में 60 निकायों की योजनाएँ पूर्ण हो गई हैं। शेष 85 निकायों में योजना क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है। यूआईडीएसएसएमटी योजना में 79 नगरीय निकायों की 1 हजार 324 करोड़ की पेयजल आवर्धन परियोजनाएँ पूर्ण की गई है। इस प्रकार सभी 378 नगरीय निकायों के लिए पेयजल योजनाओं पर कार्य या तो पूर्ण हो चुका है या चल रहा है। इसी अवधि में

42 नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास योजना की 390 करोड़ की परियोजनाएँ पूर्ण की गई हैं। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के द्वितीय चरण में 1800 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 5 छोटे शहरों को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

56. नगरीय निकायों की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता तथा नागरिकों की सुविधा के लिये "ई-नगरपालिका परियोजना" प्रारम्भ की गई है। 14 नगर निगमों में भवन अनुज्ञा के लिये ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू किया गया है। शेष समस्त नगरीय निकायों में अप्रैल 2018 से यह सिस्टम कार्यशील होगा।

57. मेरी सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिये कृत-संकल्पित है। अनुसूचित जातियों की संवैधानिक सुरक्षा भी सरकार के प्राथमिक दायित्वों में शामिल है। युवाओं के आर्थिक उत्थान और कौशल उन्नयन की योजनाओं का इस वर्ष 7000 से अधिक युवाओं को लाभ मिला है। करीब दो हजार छात्रावास में 95 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। कक्षा

11वीं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को तीन हजार की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कॉलेजों के करीब 32 हजार विद्यार्थी आवास सहायता का लाभ ले रहे हैं। उन्नत स्कॉलरशिप पोर्टल से वास्तविक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ ऑनलाईन स्वीकृत की जा रही हैं।

58. संभागीय ज्ञानोदय विद्यालयों के 90 प्रतिशत विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित 82 अभ्यर्थियों का राज्य लोक सेवा आयोग से चयन हुआ है।

59. मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास और उनकी संवैधानिक सुरक्षा को प्रत्येक स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का चिन्तन यह है कि सभी जनजातीय वर्ग के लोगों को बराबरी का सम्मान मिले और जल, जंगल तथा जमीन पर उनके अधिकार की रक्षा हो। इस उद्देश्य से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये एक त्रिवर्षीय कार्य-योजना तैयार की जा रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बस्ती विकास, आवास, कौशल विकास घटक शामिल रहेंगे।

60. विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने परिवार की महिला मुखिया को दिसम्बर 2017

से प्रतिमाह एक हजार रूपये की सहायता दी जाने की योजना प्रारंभ की गई है।

61. इस वर्ष 30 सीनियर छात्रावास, 10 महाविद्यालीन छात्रावास, कुल 40 छात्रावास प्रत्येक 50 सीट अगले वर्ष खोले जायेंगे। छात्रावास/ आश्रम में पालक समितियाँ गठित की गई हैं। इस वर्ष जनजातीय क्षेत्रों में 40 हाईस्कूलों और अगले वर्ष भी इतने ही स्कूलों का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन प्रस्तावित है। 245 सीटर 82 कन्या शिक्षा परिसरों की क्षमता 490 सीट की गई है।

62. आदिवासी बालक/ बालिकाओं को महाविद्यालयीन स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिये भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन नगरों में 2000, जिला मुख्यालय पर 1250 और तहसील/ विकासखण्ड मुख्यालय पर प्रति विद्यार्थी 1000 रूपये प्रतिमाह की आवास सहायता दी जा रही है। योजना से 47 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

63. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ 498 विद्यार्थियों को मिला है। 61 विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की कोचिंग दिल्ली की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में ले रहे हैं। प्रतिभावान

विद्यार्थियों हेतु भोपाल, इंदौर, जबलपुर और शहडोल संभाग में आदर्श आवासीय विद्यालय गुरूकुलम् की स्थापना की गई है।

64. अब तक 2 लाख 48 हजार 658 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। तीस जून 2016 तक निरस्त दावों के पुनः परीक्षण और दावा प्रस्तुति से वंचित दावेदारों से नवीन दावे प्राप्त कार्य का अभियान चलाया गया। अधिकार पत्र-धारकों को 50 हजार से ज्यादा कपिलधारा कूप, 54 हजार से ज्यादा भूमि सुधार, करीब 22 हजार डीजल/ विद्युत पम्प और साढ़े 55 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं।

65. विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के समग्र शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये वर्तमान में संचालित 16 योजनाओं के साथ अन्य योजनाएँ भी बनायी जा रही हैं। विमुक्त जाति आवास की अनुदान राशि 45 से बढ़ाकर 60 हजार रूपये की गई है। इस वर्ष से इन वर्गों की मुख्यमंत्री स्व-रोजगार और आर्थिक कल्याण योजना भी प्रारम्भ की गई है।

66. मेरी सरकार पिछड़ा वर्ग को मुख्य-धारा में लाने के लिये प्रतिबद्ध है। 49 जिलों में 100 सीटर बालक

और 48 जिलों में 50 सीटर बालिका छात्रावास का निर्माण हो गया है। तीन का कार्य प्रगति पर है। इन्दौर में 500 सीटर और शाजापुर में 50 सीटर बालिका छात्रावास का कार्य पूर्ण होने को है। इस वर्ष विभिन्न छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाओं को ऑनलाइन किया जाकर साढ़े 4 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना और मुद्रा योजना में इस वर्ष 1 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को स्व-रोजगार से जोड़ा गया है। कुल 10 हजार 120 बेरोजगारों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है।

67. अल्पसंख्यक वर्ग के 1600 बेरोजगार इस वर्ष कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये डेढ़ लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के प्रकरण भेजे गये हैं। भोपाल में हज हाउस बन गया है। वक्फ संपत्ति का कम्प्यूटरीकरण प्रगति पर है। अल्पसंख्यक बहुल जिला कार्य-योजना में भोपाल में चार छात्रावास का निर्माण हो गया है। श्योपुर, बुरहानपुर, खरगोन में छात्रावास निर्माण प्रगति पर है।

68. मेरी सरकार ने प्रदेश के प्रथम ''बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर'' की स्थापना मेडिकल कॉलेज इंदौर में की है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में ''बर्न यूनिट स्पेशलिटी'' की स्थापना की जा रही है। हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में नई ओ.पी.डी. आधुनिक उपकरणों के साथ प्रारम्भ की जा चुकी है तथा अति आधुनिक उपकरणों की स्थापना की जा रही है। कैंसर पीड़ित मरीजों की विशेष चिकित्सा हेतु जबलपुर में ''कैंसर इंस्टीट्यूट'' की स्थापना सहित ग्वालियर और विदिशा जिलों में ''टर्सरी कैंसर केयर यूनिट'' का निर्माण प्रगति पर है। जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में ''सुपर स्पेशलिटी सेंटर'' की स्थापना की जा रही है।

69. रतलाम, खण्डवा, विदिशा, शहडोल, दतिया, शिवपुरी और छिन्दवाड़ा में नये मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ किये जा रहे हैं एवं प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. की सीटों में वृद्धि की जा रही है। सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ प्रदान करने के लिये सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में ''अमृत फार्मेसी'' प्रारम्भ की जा रही है। भोपाल और इंदौर में इसका संचालन भी प्रारम्भ हो चुका है।

70. मेरी सरकार मध्यप्रदेश-स्वस्थ प्रदेश के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सभी जिला चिकित्सालयों में कैंसर रोगियों के लिये नि:शुल्क कीमोथैरेपी उपचार सुविधा के साथ आवश्यक 19 प्रकार की कीमोथैरेपी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सभी जिलों में नि:शुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2018-19 में 36 जिलों में ट्रामा यूनिट क्रियाशील हो जायेगी। प्रदेश के 19 जिला चिकित्सालयों में सी.टी. स्केन की सुविधा प्रारंभ की जायेगी।

71. हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष अभियान में चिन्हित 14 जिलों में 2 लाख 82 हजार बच्चों एवं 60 हजार गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में 655 निजी चिकित्सकों का पंजीयन कराकर वालेन्टियरी सेवाएँ दी जा रही हैं। प्रदेश सर्वाधिक वालेन्टियर पंजीयन एवं द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की गर्भवती महिलाओं की जाँच में देश में प्रथम है।

72. गत वर्ष महिला स्वास्थ्य शिविरों में 20 लाख 50 हजार महिलाएँ लाभांवित हुई। इस वर्ष आठ मार्च से 30 मई तक पुन: यह शिविर लगाये जायेंगे। दस्तक

अभियान में 76 लाख 68 हजार बच्चों की जाँच कर 8256 गंभीर कुपोषित बच्चों का उपचार पूर्ण किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से 46 जिलों को 1 से 18 वर्ष तक के कटे होंठ एवं फटे तालू के बच्चों से मुक्त घोषित किया गया। इस वर्ष 60 करोड़ की राज्य बीमारी सहायता निधि गरीबों के उपचार पर व्यय की गई।

73. मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना में 2 हजार 171 बच्चों की हृदय रोग और बाल श्रवण उपचार योजना में 435 बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कराई गई।

74. मेरी सरकार आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है। सुदूर 217 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुर्वेद औषधालय सहस्थापित किये गये हैं। वर्तमान में 28 ग्रामों में आयुष ग्राम योजना लागू की गई है। पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय संस्थान, भोपाल को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। अन्य शासकीय आयुष महाविद्यालयों में भी अधोसंरचनात्मक विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य किये जा रहे हैं।

75. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मेरी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में प्रतिवर्ष ढ़ाई लाख युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास की कौशल्या योजना में प्रतिवर्ष दो लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। एडीबी के सहयोग से 1500 करोड़ की योजना में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल संस्थान की स्थापना के साथ संभाग स्तरीय 10 आईटीआई को उत्कृष्ट संस्थाओं के रूप में विकसित किया जायेगा। 96 आईटीआई भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है जिनमें से 59 भवन पूर्ण हो गये हैं।

76. प्रदेश के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा सुलभ हो, इस उद्देश्य से प्रारम्भ की गई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में इस वर्ष 27 हजार 680 विद्यार्थियों को 55 करोड़ 05 लाख से ज्यादा की राशि का भुगतान किया गया। इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में ई-लाईब्रेरी की सुविधा विकसित की जा रही है। डॉ. अम्बेडकर योजना में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये लटेरी (विदिशा) में और एकलव्य योजना में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये हरसूद (खण्डवा) में निःशुल्क आवासीय सुविधा वाले पोलीटेकनिक कॉलेज प्रारम्भ किये गये हैं।

77. युवा सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास तथा रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष साढ़े सात लाख युवाओं को कौशल विकास तथा इन युवाओं को रोजगार/ स्व-रोजगार से जोड़ा जायेगा।

78. मेरी सरकार महिला सशक्तीकरण को यथार्थ में बदलने में सफल रही है। लाडो अभियान से वर्ष 2016-17 में 322 बाल-विवाह रोके गए। अभियान को प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार और कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। प्रदेश के 82 हजार से अधिक शौर्या दल महिलाओं के प्रति अनुकूल वातावरण के निर्माण, उन्हें आत्म-निर्भर और सक्षम बनाने में सफल रहे हैं। शौर्या दल को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सराहा है।

79. लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ अब तक 27 लाख बालिकाओं को मिला है। इन बालिकाओं को 21 वर्ष की उम्र तक पहुंचने पर 1 लाख 18 हजार रुपये मिलेंगे जो उनका भविष्य संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। योजना की आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने ई-लाड़ली प्रारंभ किया गया है। इस शैक्षणिक सत्र में कक्षा छठवीं में प्रवेश लेने वाली 67 हजार से

अधिक बालिकाओं को प्रति बालिका दो हजार रूपये के मान से भुगतान किया गया है।

80. तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में साढ़े 16 हजार स्व-सहायता समूहों से 2 लाख 5 हजार महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम में महिलाएँ सामाजिक जवाबदारी का प्रशिक्षण ले रही हैं।

81. सभी प्रकार की हिंसा पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही जगह तत्काल आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सुविधाएँ उपलब्ध करवाने 18 जिलों में वन स्टॉप सेन्टर खोले गये हैं। इस वर्ष 8 जिलों - धार, हरदा, पन्ना, दतिया, खरगोन, शिवपुरी, सिवनी और विदिशा में भी ये सेन्टर स्थापित किये जा रहे हैं। महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु समाज में जन-चेतना और जागृति हेतु प्रदेश के सभी 1091 थानों में महिला-बाल विकास और गृह विभाग द्वारा "सम्मान, सुरक्षा एवं स्वरक्षा" संवाद कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

82. कुपोषण के खात्मे के लिये सरकार ने सार्थक कार्यक्रम संचालित किये हैं। कम वजन के 56 प्रतिशत बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि हुई है। स्नेह सरोकार कार्यक्रम

में 44 हजार अति कम वजन के बच्चों के पोषण-स्तर में सुधार का कार्य समाज की सहभागिता से हो रहा है। आँगनवाड़ी केन्द्रों के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में तीन दिन सुगंधित दूध दिया जा रहा है।

83. मेरी सरकार नयी और परिणामकारी शैक्षणिक संस्कृति की स्थापना के लिये प्रतिबद्ध है। अध्यापक संवर्ग को समुचित वेतनमान और सुविधाएँ मंजूर की गई हैं। अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा तथा जनजातीय कल्याण विभाग के अधीनस्थ शिक्षकों के समतुल्य किया जायेगा।

84. माध्यमिक बोर्ड में कक्षा 12वीं में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के 85 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति और विमुक्त एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के 75 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय के लिये 25 हजार रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पिछले वर्ष योजना से लगभग साढ़े 18 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

85. परीक्षा प्रणाली में सुधार के क्रम में इस शैक्षणिक सत्र से 10वीं कक्षा में ''बेस्ट फाईव'' पद्धति लागू की गई है। इस पद्धति में 06 विषयों में परीक्षा ली

जाकर जिन 05 विषयों में अधिकतम अंक होंगे, उनको महायोग में शामिल कर परिणाम घोषित किया जायेगा।

86. प्रदेश में उच्च शिक्षा सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले वर्ष 15 नवीन तथा 3 आदर्श नवीन कॉलेज खोलने के साथ 23 संचालित शासकीय कॉलेजों में नवीन संकाय/ विषय एवं 11 स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ की गई। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में 50 महाविद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। गव्हर्नमेंट पी.जी. कॉलेज शहडोल को विश्वविद्यालय का दर्जा देकर क्रियाशील किया गया है। गाँव की बेटी, प्रतिभा किरण, विक्रमादित्य, अनुसूचित जाति/ जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी के प्रदाय जैसी योजनाओं से एक लाख 6 हजार से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। डेढ़ लाख विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन दिये गये हैं। कॉलेजों में प्रवेश, कांउसलिंग एवं छात्रवृत्ति योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है। आई.आई.टी. मुम्बई के सहयोग से एक लाख विद्यार्थियों को आई.टी. साफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिलाया गया है।

87. मेरी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पिछले वर्षों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिला है। जीआईएस-2016 में प्राप्त 5 लाख 62 करोड़ के 2 हजार 630 इन्ट्रेस्ट टू इन्वेस्ट प्रस्ताव विभिन्न चरण में हैं। इन्वेस्टमेंट ड्राईव निरंतर जारी है। इन्वेस्ट पोर्टल बनाया जा रहा है, जो निवेश प्रस्ताव के पूरे जीवन चक्र की मानिटरिंग करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में प्रदेश को वर्ष 2015 और 16 में पाँचवीं रैंक मिली है।

88. इस वर्ष 2 हजार 822 हेक्टेयर में 2 हजार 300 करोड़ की लागत से 22 स्थानों पर नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हो जायेगी। बिलौआ - ग्वालियर में 82 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जायेगी।

89. मेरी सरकार ने "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति-2017" जारी की है। नीति में विभिन्न अनुदान को एकीकृत कर एमएसएमई को निवेश का 40 प्रतिशत 5 वार्षिक किश्तों में विकास अनुदान देने का प्रावधान है। नीति के प्रोत्साहनों को देने के लिये "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना-2017" जारी की गई है। यह नीति तथा योजना एक अप्रैल 2018 से प्रभावशील होंगे।

90. इस वर्ष जनवरी 2018 अंत तक डेढ़ लाख से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीयन से 11 हजार 445 करोड़ के पूँजी निवेश के साथ पाँच लाख लोगों को रोजगार मिला है।

91. मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की अधिकतम परियोजना लागत एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की है। किसान पुत्र/ पुत्री को 2 करोड़ तक की परियोजना लागत के नवीन उद्यमों की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना प्रारम्भ की गई है। जिला कलेक्टरों से डेढ़ हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिये एमएसएमई विभाग को हस्तांतरित कराई गई है। अशोकनगर, उमरिया और अनूपपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। "जेम" से खरीदी वाले राज्यों में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम है।

92. मेरी सरकार कुटीर और ग्रामोद्योग की प्रगति के लिये प्रयासरत है। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना एवं आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा रहा है।

93. पंजीकृत सतपुड़ा वूमेन सिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी बैतूल में ग्यारह सौ से ज्यादा आदिवासी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इस कम्पनी का संचालन पूर्णतया अनुसूचित जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।

94. श्रम विभाग की 32 सेवाओं को लोकसेवा गारंटी कानून के दायरे में लाकर सभी सेवाओं को केन्द्रीकृत पोर्टल से सिंगल विण्डो से सुलभ करवाया जा रहा है। कुल 25 लाख 88 हजार निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर 812 करोड़ के हितलाभ दिये जा चुके हैं।

95. पब्लिक स्कूल की तर्ज पर इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में स्थापित श्रमोदय विद्यालयों में इस शैक्षणिक सत्र से 3 हजार 200 बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा।

96. मेरी सरकार राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण कर रही है। विगत एक वर्ष में 13 लाख 62 हजार से ज्यादा राजस्व प्रकरण निराकृत किये जा चुके हैं। दर्ज प्रकरणों संबंधी सभी सूचनाएँ आनलाईन और एस.एम.एस. अलर्ट से देने के साथ पारित आदेश की प्रति आनलाईन प्राप्त की जा सकती है। इसी

प्रकार विशेष अभियान चलाकर 12 लाख से अधिक अविवादित नामांतरण एवं बँटवारे निराकृत किए गए हैं।

97. प्रदेश में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये 9 हजार से अधिक पटवारी एवं 400 से अधिक नये नायब तहसीलदारों की पद-स्थापना भी की जा रही है।

98. प्रदेश के आवासहीनों को नि:शुल्क आवास/भूखंड उपलब्ध कराने हेतु मेरी सरकार ने कानून बनाया है। इस कानून के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के आवासहीन नागरिकों को आवासीय पट्टे देने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को आवासीय पट्टे वितरण किए जा चुके हैं। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में व्यापक परिवर्तन कर जन सुलभ भू-प्रबंधन प्रणाली को लागू करने की कार्य-योजना है।

99. मेरी सरकार की वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की प्रभावी पहल का ही परिणाम है कि वनों और उन पर आश्रित ग्रामीणों की स्थिति में सुधार हुआ है। नर्मदा कछार में 2 जुलाई, 2017 को 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। आगामी जुलाई में आठ करोड़

पौधारोपण का लक्ष्य है। वन समितियों में महिलाओं के लिये 33 फीसदी स्थान आरक्षित है। "दीनदयाल वनांचल सेवा" में 502 स्वास्थ्य शिविरों में 61 हजार से ज्यादा वनवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।

100. प्रदेश में सक्रिय वन्य-प्राणी प्रबंधन प्रणाली पर अमल किया जा रहा है। वन्य-प्राणियों द्वारा जनहानि/ जनघायल तथा पशुहानि पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाई गई है। मानव-वन्य प्राणी द्वंद को कम करने के लिये संरक्षित क्षेत्रों में चिन्हित ग्रामों का विस्थापन ग्रामीणों की सहमति के बाद ही किया जा रहा है। वन्य-प्राणी अपराधों की सुनवाई के लिये जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, सागर तथा सतना में विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं।

101. वर्ष 2017 के 23 लाख 37 हजार मानक बोरा के तेन्दूपत्ता संग्रहण पर 292 करोड़ का पारिश्रमिक वितरित किया गया है। संग्रहण वर्ष 2017 के तेन्दूपत्ता व्यवसाय के लाभ में से 500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है। महुआ फूल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 14 रूपये से 30 रूपये किलो किया गया। इससे संग्राहकों को 22 करोड़

की अतिरिक्त राशि मिली। संग्राहकों को जूता/ चप्पल, पानी की बोतल और साड़ी प्रदाय करने की ''चरण पादुका योजना'' से सवा इक्कीस लाख पुरूष एवं महिला लाभांवित होंगे।

102. मेरी सरकार प्रदेश की खनिज सम्पदा के संतुलित और पारदर्शी उपयोग की पक्षधर है। खनिजों के परिवहन के लिये सभी जिलों में ई-खनिज पोर्टल से ऑनलाइन ई-टीपी सेवा को लागू किया गया है।

103. सरकार ने नयी रेत खनन नीति 2017 बनाई है। गौण खनिज रेत, साधारण बजरी के संचालन के अधिकार ग्राम पंचायतों को देने का निर्णय लिया गया है।

104. मेरी सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिये विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। प्रमुख 15 शहरों में सतत् वायु गुणवत्ता की मानिटरिंग के साथ उद्योग, वाहन और ध्वनिजनित प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किये जा रहे हैं। नदियों एवं अन्य प्राकृतिक जल-स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता की नियमित जाँच की जा रही है।

105. सूखे के इस वर्ष में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु सरकार की पूरी तैयारी है। इस हेतु सभी जिलों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारा पूरा प्रयास

होगा कि पेयजल की समस्या कम से कम हो और ग्रामीण क्षेत्र में सभी नागरिकों को मौलिक आवश्यकता अनुरूप पेयजल मिले।

106. नल-जल योजनाओं के बेहतर संधारण के लिए जिला कलेक्टर की कमेटी को 20 लाख रुपये तक के संधारण कार्य की स्वीकृति के अधिकार दिए गए हैं। "मुख्यमंत्री ग्राम नल-जल योजना" में एक हजार से अधिक जनसंख्या की सामान्य एवं पाँच सौ से अधिक जनसंख्या की अनुसूचित जाति/ जनजाति बसाहटों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2018-19 में 1 हजार 650 योजनाओं की पूर्णता का लक्ष्य है।

107. सतही स्त्रोत आधारित समूह पेयजल योजनाओं से घर-घर नल कनेक्शन के लिये 32 समूह जलप्रदाय योजनाएँ मंजूर की गई हैं। इससे 1 हजार 694 ग्रामों की 23 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त न्यू डेवलपमेंट बैंक से स्वीकृति प्राप्त कर रूपये 4 हजार 513 करोड़ की 9 समूह पेयजल योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है जिससे साढ़े तीन हजार ग्रामों की साढ़े 33 लाख आबादी लाभान्वित होगी।

108. मेरी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में प्रदेश की 5 करोड़ 41 लाख आबादी को एक रुपये किलो की दर से खाद्यान्न और नमक प्रदाय किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में रक्त अल्पता निवारण के लिये आयरनयुक्त डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण प्रारंभ किया जाएगा।

109. मेरी सरकार 5 हजार 253 दुकानविहीन पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोल रही है। इनमें से एक तिहाई दुकानें महिला संस्थाओं को आवंटित की जा रही हैं।

110. रबी 2017-18 में 7 लाख से ज्यादा किसानों से समर्थन मूल्य पर सवा 67 लाख मी.टन गेहूँ और खरीफ में 2 लाख 82 हजार किसानों से 16 लाख 59 हजार मी.टन धान और 901 किसानों से 4 हजार 388 मी.टन मोटा अनाज उपार्जित किया गया।

111. देश की गरीब महिलाओं की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्रीजी ने उज्जवला योजना प्रारंभ की है। इस योजना में अब तक प्रदेश में 31 लाख 40 हजार परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

112. मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों और अलाभकारी मार्गों पर बसों की व्यापक उपलब्धता के लिये टैक्स में राहत और परमिट देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की कार्यवाही की है। हब और स्पोक मॉडल पर शहरों के अन्दर और शहरों को जोड़ने वाली बस सेवाएं लागू करने की वृहद योजना पर मेरी सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में लगभग 2 हजार वातानुकूलित और गैर- वातानुकूलित बसों को पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा। स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर और जीपीएस अनिवार्य करने के साथ स्पीड लिमिट 40 कि.मी. प्रतिघंटा निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री परिवहन सेवा प्रारम्भ कर लगभग दो हजार चयनित ग्रामीण मार्गों पर लगभग 25 हजार अनुज्ञाएँ जारी की गई हैं।

113. महिलाओं या विधवा महिलाओं द्वारा यात्री सेवाएँ उपलब्ध कराने पर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने में वरीयता दी जा रही है। महिलाओं को निःशुल्क ड्रायविंग लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

114. भौतिक प्रगति के पैमाने से आगे बढ़कर मेरी सरकार ने आनंद विभाग की स्थापना की है। दो वर्ष में 44 हजार से अधिक लोग स्वेच्छा से आनंदक बने हैं।

शासकीय सेवकों में सकारात्मक सोच के विकास के लिये 780 अल्पविराम कार्यक्रम किये गये हैं। आनंदम गतिविधि में सार्वजनिक स्थलों पर न्यूनतम सुविधा के उपयोग के सामान को छोड़ने तथा उस सामान की जिसे जरूरत हो, वहाँ से निःशुल्क तथा बिना किसी से पूछे ले जाने की व्यवस्था संचालित है।

115. सरकार ने आनंद शिविर आयोजन के लिये आर्ट ऑफ लिविंग, बैंगलुरू, एनिशिएटिव ऑफ चेंज, पुणे और ईशा फाउण्डेशन, कोयम्बटूर से एमओयू किया है। राज्य आनंद संस्थान राशि 10 लाख के आनंद अनुसंधान प्रोजेक्ट, 3 लाख की आनंद फैलोशिप, एक-एक लाख की राशि के आनंद शोध एवं आनंद प्रोजेक्ट पुरस्कार प्रारम्भ कर रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना के लिये आईआईटी खड़गपुर द्वारा प्राथमिक सर्वे का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

116. मेरी सरकार द्वारा निःशक्तजनों, वृद्धजनों, निराश्रितों, कन्याओं, विधवा और परित्यक्ताओं के लिये अनेक जन-कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। अभी 36 लाख से ज्यादा पेंशनरों के खातों में

एक क्लिक से 116 करोड़ से अधिक की पेंशन राशि प्रतिमाह एक तारीख को भुगतान की जा रही है।

117. मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में सवा चार लाख से ज्यादा कन्याओं के विवाह और साढ़े दस हजार कन्याओं के निकाह शासकीय सहायता से हुए हैं।

118. मेरी सरकार के प्रयासों से प्रदेश को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिली है। विगत एक वर्ष में प्रदेश की खेल अकादमियों के खिलाड़ियों ने 30 अंतर्राष्ट्रीय और 338 राष्ट्रीय पदक अर्जित किये हैं। मध्यप्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी को बेस्ट-सेलिंग क्लब अवार्ड मिला है। "माँ तुझे प्रणाम" योजना में इस वर्ष ढाई हजार युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की यात्रा करवायी गयी।

119. सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने वॉटर टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों में पहल की है। जल-पर्यटन में हनुवंतिया के साथ-साथ सैलानी ने विशिष्ट स्थान बना लिया है। पर्यटन केबिनेट के बाद टूरिज्म बोर्ड गठित किया गया है। निवेशक मित्र पर्यटन नीति लागू की गई है। टूरिज्म प्रोजेक्ट को भूमि आवंटन के लिये 500 हेक्टेयर का लैण्ड बैंक है।

120. नई हेरिटेज पॉलिसी में माधोगढ़ फोर्ट–सतना, गोविन्दगढ़ पैलेस–रीवा तथा ताजमहल पैलेस–भोपाल के विकास की प्रक्रिया प्रचलित है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सर्किट के लिये 92 करोड़ की, बुद्धिस्ट सर्किट के लिये 75 करोड़ की और हेरिटेज सर्किट परियोजना के लिये 99 करोड़ की स्वीकृति मिली है।

121. पर्यटन से रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। युवाओं के कौशल विकास के लिये इन्स्टीट्यूट ऑफ हास्पिटेलिटी ट्रेनिंग केन्द्र से 22 हजार से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। भविष्य में ऐसे ही और भी संस्थान खोले जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

122. साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, सामाजिक समरसता, सद्‌भाव आदि बहुआयामी क्षेत्रों में उत्कृष्टता, सृजनात्मकता और बहुउल्लेखनीय योगदान को समाद्दत करने के लिए स्थापित बीस सम्मानों को मेरी सरकार ने बढ़ाकर 58 कर दिया है। मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने भाषा एवं बोलियों के विकास के लिये अकादमी स्थापित की है। उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक कला संकुल निर्मित किये गये हैं।

123. मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का लाभ इस वर्ष 87 हजार वरिष्ठ नागरिकों ने लिया है। इस वर्ष से योजना में शामिल तीर्थ-स्थानों के साथ समीप के तीर्थों की यात्रा की सुविधा भी दी गई है। अब तीर्थ-यात्रा के लिये ऐसे लोग भी पात्र होंगे, जो पाँच वर्ष पहले योजना का लाभ ले चुके हैं।

124. मेरी सरकार ने शासकीय अभिलेखों को डिजिटल करने, कार्यालयों को इलेक्ट्रानिक मोड में काम करने, काम की गति और पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कागजरहित स्वच्छ कार्य-प्रणाली के उद्देश्य से प्रदेश में ई-आफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रालय में प्रणाली पर अमल शुरू भी हो गया है।

125. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के बैकलाग/ कैरीफारवर्ड पदों और निःशक्तजनों के आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति के अभियान की समय-सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

126. मेरी सरकार सुशासन की स्थापना के लिये कृत-संकल्पित है। प्रदेश ने पहली बार अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा में नागरिक को प्रदान करने की

कानूनी गारंटी दी है। कानून के दायरे में 44 विभाग की 428 सेवाएँ लायी जाकर 256 सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। अब तक साढ़े चार करोड़ से अधिक आवेदकों को समय-सीमा में सेवाएँ दी जा चुकी हैं। समय-सीमा में सेवाएँ न देने वाले 1500 अधिकारियों पर 33 लाख 77 हजार का जुर्माना लगाया जा चुका है। अब नागरिकों को तत्काल सेवा प्रदान करने के लिये ''समाधान-एक दिन तत्काल सेवा'' प्रारम्भ की जा रही है, जिसमें एक ही दिन में सेवाएँ दी जायेंगी।

127. सी.एम. हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर अब काफी प्रभावी हो गई है, जिसमें रोजाना 50 से 60 हजार कॉल रिसीव कर निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में नागरिकों से संवाद स्थापित कर सहभागिता से कार्य करने के लिये My Gov.mp परियोजना संचालित की गई है।

128. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में आई.टी. पार्क एवं भोपाल और जबलपुर में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्थापित किये गये हैं।

129. स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क से दस हजार से अधिक कार्यालयों को कनेक्टिविटी दी गई है। योजना के अगले चरण ''स्वान नेक्स्ट'' में ग्राम पंचायत स्तर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी।

130. मेरी सरकार नागरिकों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजनों के लिये प्रत्येक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विर्निर्दिष्ट किया गया है। पचास जिलों में वाणिज्यिक न्यायालय गठित किये जा चुके हैं।

131. मेरी सरकार ने इस वर्ष दण्ड विधि मध्यप्रदेश (संशोधन) विधेयक 2017 को पारित कर 12 वर्ष तक की बालिकाओं से बलात्संग एवं सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिये मृत्युदण्ड तक का प्रावधान किया है। यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जायेगा।

132. मेरी सरकार ने प्रवासी भारतीयों का प्रदेश के विकास में योगदान बढ़ाने और उनके हित संरक्षण की पहल की है। जनवरी 2018 में इन्दौर में फ्रेंडस ऑफ एमपी कॉनक्लेव किया गया। प्रवासी भारतीयों से सम्पर्क के लिये फ्रेंडस ऑफ एमपी वेब पोर्टल बनाया जा रहा है। प्रदेश के विकास में फ्रेंडस ऑफ एमपी

की विशेषज्ञता को सरकार के साथ साझा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

133. मेरी सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति को लगातार बेहतर करने में सफल रही है। अपराध पर नियंत्रण के विशेष अभियानों को सफलता मिली है। दो लाख से अधिक गिरफ्तारी वारंटी तामील करवाये गये और 33 हजार से अधिक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। सभी प्रमुख सूचीबद्ध डकैत गिरोहों का सफाया हो गया है।

134. गम्भीर अपराधों को चिंहित कर मॉनिटरिंग की विशेष व्यवस्था बनाई गई है। गंभीर अपराधों के 71 प्रतिशत प्रकरणों और महिला अपराधों के 1745 मामलों में सजा हुई है। सभी जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ प्रभावी कार्य कर रही हैं। परामर्श केन्द्रों के जरिये पारिवारिक विवाद सुलझ रहे हैं।

135. राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाईन 1090 पर प्राप्त 21 हजार 231 शिकायतों का निराकरण किया गया। छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत ''निर्भया पेट्रोलिंग'' एवं ''मैत्री पुलिस पेट्रालिंग''की व्यवस्था की गई है।

136. मेरी सरकार ने सभी 51 जिलों में अ.जा.क. थाना स्थापित किया है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के पीड़ित एवं साक्षीगणों के लिये ''पीड़ित एवं साक्षी संरक्षण तथा सहायता कार्यक्रम'' संचालित है। चयनित 474 प्रकरणों में से 60 प्रतिशत में सजा दिलवाई गई है। अब अनुसूचित जाति/ जनजाति - एक्ट में पंजीबद्ध प्रकरणों में त्वरित विवेचना के उद्देश्य से निरीक्षक को भी विवेचना का अधिकार सौंपा गया है।

137. विभिन्न स्तर पर पुरस्कृत डायल 100 योजना में 1000 वाहन पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं। अन्य राज्यों की पुलिस ने योजना की सराहना की है। 61 शहरों में लगभग दो हजार स्थानों पर 9 हजार 400 सीसीटीवी कैमरे की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। एक हजार से ज्यादा थाने सीसीटीएनएस सिस्टम से जुड़ गये हैं।

138. मेरी सरकार ने पुलिस बल में पिछले 10 वर्षों में 50 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि, 161 नये पुलिस थाने एवं 111 नई पुलिस चौकियाँ स्थापित की हैं। चार वर्षों में पुलिस बल के लिये 10 हजार 500

आवास निर्मित हुए हैं। पाँच वर्षों में 25 हजार आवास और बनाये जायेंगे। पुराने आवासों की मरम्मत पर सालाना 50 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है।

139. मेरी सरकार ने पिछले चौदह वर्षों में प्रदेश को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के बहुआयामी प्रयास किये हैं। आज प्रदेश कई क्षेत्रों में सबसे तेजी से आगे बढ़ता प्रदेश है। यह एक पड़ाव भर है, मंजिल नहीं। हमारा पूरा प्रयास है कि विकास के मामले में हम देश में नम्बर एक पर आएं और दुनिया के बेहतरीन राज्यों के समकक्ष हों। मेरी सरकार का यह विश्वास है कि जनता और समाज के सहयोग से ऐसा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और इसे हासिल करने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है।

जय-हिन्द- धन्यवाद।

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा अभिभाषण समाप्त होने के पश्चात् अपने अपने आसन से प्रदेश में किसानों की ऋण माफी करने के संबंध में पोस्टर दिखाये एवं नारेबाजी की गई.)

राज्यपाल महोदया द्वारा अभिभाषण के पश्चात् पूर्वाह्न 11.37 बजे चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया गया.

11.41 बजे राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की प्रस्तुति

श्री रामेश्वर शर्मा(हुजूर) - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि :-

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं. "

डॉ.कैलाश जाटव (गोटेगांव) - अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि -

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं. "

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं दिनांक 07 एवं 08 मार्च,2018 नियत करता हूं.

जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हों, वे आज दिनांक 26 फरवरी,2018 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दे सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय - विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार,दिनांक 27 फरवरी,2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित.

पूर्वाह्न 11.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार,दिनांक 27 फरवरी, 2018 (8 फाल्गुन,शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए.पी. सिंह

भोपाल : प्रमुख सचिव,

दिनांक : 26 फरवरी,2018 मध्यप्रदेश विधान सभा